बैंक प्रकरण संख्या 33/2017 (RCMS **2017/00075**) **डी.सी..बी बैंक लिमिटेड** पता एस–5, सैकिण्ड फ्लौर, गीजगढ टावर, हवा सडक, सिविल लाईन, जयपुर (राज.) डिप्टी मैनेजर सिद्धर्थ सिंह बनाम 1. **सुलेन्द्र पुत्र** पुरखाराम 2. महेन्द्र पुत्र पुरखाराम 3. पुरखाराम पुत्र लालचन्द 4. ज्ञाना देवी पत्नी पुरखाराम पुत्री गिरधारी लाल निवासी म.न. 1–के–15, सदभावना नगर, 36ए छोटी साहूबाला, श्रीगंगानगर

17.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री पूर्णराम घोडेला ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण सुलेन्द्र, महेन्द्र, पुरखाराम एवं ज्ञान देवी को ऋण सुविधा के रूप में 4.00 लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी अप्रार्थी संख्या 1 की सम्पत्ति मकान नं. 1–के–15, सद्भावना नगर, छोटी साहूबाला, श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किये जाने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 01.06.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 04.06.2016 को कुल 04,11,188/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 04.06.2016 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का रजिस्टर्ड डाक से जारी किया गया जिसकी तामील अप्रार्थीगण पर हो चुकी है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए ऋणी अप्रार्थी संख्या 01 के मकान नं. 1–के–15, सद्भावना नगर, छोटी साहूबाला, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणियों सुलेन्द्र, महेन्द्र, पुरखाराम एवं ज्ञान देवी को 4.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति 30.08.2014 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संख्या 1 सुलेन्द्र पुत्र पुरखाराम का मकान नं. 1—के—15, सद्भावना नगर, छोटी साहूबाला, श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों का खाता दिनांक 01.06.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 04.06.2016 को जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर डाक से भिजवाया गया है एवं धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद पर सुलेन्द्र, महेन्द एवं ज्ञानी देवी के स्वयं के हस्ताक्षर है और पुरखाराम की रसीद पर महेन्द्र के हस्ताक्षर है, जिससे अप्रार्थी पुरखाराम के धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना प्रतीत नहीं होता है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 04.06.2016 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 04.06.2016 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थीगण ऋणियों सुलेन्द्र, महेन्द्र, पुरखाराम एवं ज्ञाना देवी के नाम जारी किये गये है, जिसकी पोस्ट ऑफिस की नोटिस भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी सुलेन्द्र,

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

महेन्द्र एवं ज्ञाना देवी की धारा 13(2) की पावती रसीद पर उनके स्वयं के हस्ताक्षर है तथा पुरखाराम की रसीद पर महेन्द्र के हस्ताक्षर है। जिस कारण अप्रार्थी पुरखाराम की धारा 13(2) की तामिल नहीं होने के कारण बैक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है।

जहां तक ऋण की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पत्ति मकान नं. 1—के—15, सद्भावना नगर, 36 ए, छोटी साहुबाला, श्रीगंगानगर जिसका कब्जा चाहा जा रहा है, वह अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज होना बताई है जबकि बैंक द्वारा प्रस्तुत ऋण प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों में मकान नं. 1—के—15, सदभावना नगर 3 ई छोटी, साहुवाला, गंगानगर है तथा अप्रार्थी ज्ञानी देवी के नाम से है न कि अप्रार्थी संख्या 1 सुलेन्द्र के नाम से है। इस प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा जिस मकान का कब्जा चाहा जा रहा है वह अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक होनी नहीं पाई जाती है और न ही इसके सम्बन्ध में प्रार्थी बैंक द्वारा कोई शपथ पत्र पेश किया गया है। इस कारण प्रार्थी बैंक का वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी फाईनेन्स कम्पनी डी.सी.बी. बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2017 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से **पुनः अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर